

नियम  
नं

# अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2025/225 श्रीमती / सुखपाल

पेशी 2025/548 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर  
श्री श्रीमती वंदना कौर श्री सुदेश जार 148

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
जारी हुए

1./26

भंवरी बनाम सुखपाल वगैरह (2025/548)  
पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अभिभाषक श्री मुकेश जाट एडवोकेट ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 08 की ओर से वकालनामा पेश किया, जो शामिल मिसल हो। अभिभाषक अपीलांत ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में उभयपक्षकारान में राजीनामा हो चुका है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2025 निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2025 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 46/2024 का निर्णय फरमा कर उभयपक्षकारान आपसी मध्य राजीनामें अनुसार आदेश प्रदान कराने हेतु पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन रिमांड करने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोंडेन्टस ने उक्त राजीनामे पर सहमति जाहिर करते हुए अपील को राजीनामानुसार स्वीकार कर रिमांड किये जाने हेतु निवेदन किया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 03 व 8 स्वयं उपस्थित हुए एवं आदेशिका पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये जिनकी पहचान उनके अभिभाषक श्री मुकेश जाट द्वारा की गई एवं शेष रेस्पोंडेन्ट की ओर से अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट श्री मुकेश जाट द्वारा रिमांड किये जाने हेतु सहमति दी गई।

अतः अपील अपीलांत उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर सहमति दिये जाने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 46/2024 बउनवान सुखपाल बनाम नंदराम में पारित आदेश दिनांक 18.11.2025 को निरस्त/खारिज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामें अनुसार प्रतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

**उपखण्ड अपील प्राधिकारी**  
अजमेर

*[Handwritten Signature]*  
18/11/25  
श्री  
पु. 21/25  
नंदराम रॉय  
Adv.  
01/01/26

